



690

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2312/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
VIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN,
KHASRA NO.510/1/3, PATWARI HALKA NO.33,
GRAM BARKHEDA NATHU, BHADHBHADA ROAD, RATIBAD,
TEHSIL HUZUR, BHOPAL, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 144373 दिनांक: 31/5/2015
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 161

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 50 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2313/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा. कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

क्रमांक 2314/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR,
GREEN VALLEY COLLEGE,
300/1, VILL BANJARI, SARVADHARM C SECTOR,
KOLAR ROAD, BHOPAL 462043 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 148975 दिनांक: 31/5/17

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 132.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 ~~132~~ छात्र संख्या (50) F.F.F.

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कर्मियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कर्मियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृ0क्रमांक 2315/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



692

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2346/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
INTELLICON COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES,
PLOT NO.751/1, 764, 765, 778/1, 778/2 VILL- KHARPA,
RATIBAD, BHOPAL, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 148865 दिनांक: 30/5/15
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 143.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ० क्रमांक 2347/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



10

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2413 / अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
GOVERNMENT COLLEGE OF EDUCATION,
P.G.B.T. CAMPUS, BERASIA ROAD, BHOPAL,
(NEW NAME - INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
IN EDUCATION, BHOPAL) (IASE, BHOPAL)

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 154251 दिनांक: 19-10-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 02.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयक्रम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयक्रम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017



पृ0क्रमांक 2414 / अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



(1)

संबद्धता की निरंतरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2425/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
SAIFIA COLLEGE OF SCIENCE & EDUCATION,
SAIFIA SCIENCE COLLEGE, SAIFIA COLLEGE ROAD,
BHOPAL 462001, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 137904 दिनांक: 28-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक:30.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2426/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसचिव अकादमी



(21)

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2419/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
RAJEEV GANDHI COLLEGE,
E-8, TRILANGA COLONY, SHAHPURA
BHOPAL 462039 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 146851 दिनांक: 31-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 17.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2420/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव: अकादमी



50

संबद्धता की निरंतरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2417/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
MADAN MAHARAJ COLLEGE,
PLOT NO.41/2, BEHIND GALLA MANDI, BHANPUR,
SARAI SIKANDARI P.O., TEHSIL-HUZUR,
DISTRICT BHOPAL-462010 MADHYA PRADESH.

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 135366 दिनांक: 18-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 16.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 40 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



[Signature]
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2418/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

[Signature]



66

संबद्धता की निरंतरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2433/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION,
SHYAMLA HILLS, BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 157579 दिनांक: 23-12-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 01.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017



पृ० क्रमांक 2412/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा-भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



95

संबद्धता की निरंतरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2443/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR

CHRIST COLLEGE,

23/1 ST. PAUL CAMPUS, ANAND NAGAR, 62/11 HATAIKHEDA, PIPLANI

BHOPAL 462021 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 147709 दिनांक: 31-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 71.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिणियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2444/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय दल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

महोदय - कुलसचिव/अकादमी



179

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2423/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR
SHREE INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION,
GANDHI NAGAR, ABBAS NAGAR
NEAR R.G.P.V NEW JAIL ROAD
BHOPAL 462036 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 135876 दिनांक: 19-05-2015.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 27.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 35 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियाँ तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 03/06/2017

पृ0क्रमांक 2424/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल